

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्र 2, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2016

मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातमक (एम. बी.बी. एस./बी. डी. एस.)
पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम, 2016

क्रमांक एफ 5-69-2016-1-पचपन(अ).—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम और स्नातक दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित पूर्व से प्रवृत्त समस्त नियमों, निर्देशों तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश नियम, 2016 है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “बोर्ड” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली;

(ख) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय या दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

(ग) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पूर्व स्नातक), [नीट(यूजी)];

- (घ) "अर्हता परीक्षा" से अभिप्रेत है, एम. बी. बी. एस. (बेचलर ऑफ मेडिसिन एंड बेचलर ऑफ सर्जरी) या बी. डी. एस. (बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु कम से कम 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा;
- (ङ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- (च) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;
- (छ) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मिलेट्री पर्सन (एम. पी.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ. एफ.), महिला जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है तथा विकलांग (पी. एच.) जैसा कि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है;
- (ज) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है;
- (झ) "एम. सी. आई." से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्;
- (ञ) "डी. सी. आई." से अभिप्रेत है, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के अधीन गठित दन्त चिकित्सा परिषद्;

3. सामान्य—(1) एम. बी. बी. एस. एवं बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय, एम. सी. आई./डी. सी. आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होगा.

(2) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में सीट आवंटन एवं प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे :—

- (क) एम. बी. बी. एस. कोर्स—शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं सागर.
- (ख) बी. डी. एस. कोर्स—शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर.

(3) अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए गए ऑन लाईन आवेदन-पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किए गए हैं वही फोटो ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय, स्कूटनी स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों. अभ्यर्थी यही फोटो की 30 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें जिसका उपयोग समय-समय पर प्रवेशित महाविद्यालय में किया जा सके. बोर्ड द्वारा फोटोग्राफ के संबंध में निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित है जिनका पालन सुनिश्चित किया जाए:—

- (क) फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल बॉल पाइंट पेन से अपना नाम, आवेदन पत्र संख्या और मेरिट नम्बर अवश्य लिखेंगे. फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैकग्राउंड सहित अनुप्रममाणित नवीनतम अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियो फोटोग्राफ जो नीट (यूजी) परीक्षा के दौरान प्रयोग किया गया हो को चिपकाया जाए. फोटोग्राफ विगत वर्ष के 1 दिसम्बर से पूर्व का नहीं होना चाहिए. जिसमें नीचे दर्शाये अनुसार उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की दिनांक स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए. फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ हो.
- (ख) नजर के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है. पोलारॉइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं. फोटोग्राफों को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद/एडहेसिव से भली-भांति चिपकाया जाए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाए/स्टेपल नहीं किया जाए. इन अनुदेशों को पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों (प्ररूप-1 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र) को अस्वीकृत किया जाएगा. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात् व सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो

उम्मीदवार का सीट आवंटन/प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

(ग) फोटों में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

(घ) अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही सही दी जाएगी. स्कूटनी तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में करेगा तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेगा. हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

(4) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में प्रविष्टि से समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) भी दर्ज कराई जाएगी.

(5) छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता लगातार बिना अनुमति के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है.

(6) अभ्यर्थी द्वारा नीट (यूजी) परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा.

4. **सीटों की उपलब्धता.**—महाविद्यालयवार एम. बी. बी. एस. तथा बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें तालिका 1.1, 1.2 एवं 1.3 में दर्शाई गई है. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में राज्य कोटे की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप भरी जाएगी. उन्हें नीट (यूजी) के योग्य चयनित अभ्यर्थियों द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जाएगा. सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जो यथासमय सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा.

(1) पन्द्रह प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनके लिए आवंटन शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों के लिए नीट (यू. जी) के आधार पर भारत शासन के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाएगा.

(2) भारत सरकार के नामांकित अभ्यर्थियों के लिए सत्ताईस सीट शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में तथा एक सीट स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षित की गई है (परिशिष्ट-11, 12 देखें) अनारक्षित श्रेणी की एक सीट स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है. (परिशिष्ट-13 एवं तालिका 1.1 देखें).

(3) भारत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों के लिए प्रवेश नियम 6(2) तथा 6(7) के अनुरूप शैक्षणिक एवं आयु संबंधी योग्यता होना अनिवार्य है.

5. **आरक्षण.**—(क) बीस प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, सोलह प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति तथा चौदह प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षित की गई हैं एवं शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

(ख) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा. प्रमाण-पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा. (प्ररूप 4अ, ब, जो भी लागू हो).

(3) ऐसे विकलांग अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें एम. बी. बी. एस. तथा बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण क्षेत्रीय (हॉरिजोन्टल) होगा।

(4) एम. सी. आई. की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प-34(41)2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (PH-2) से कम के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जाएंगे। उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी।

(5) इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र स्कूटनी के समय प्रस्तुत करना होंगे। दोनों ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि स्कूटनी की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व की नहीं होना चाहिए।

नोट.—विकलांग अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय विकलांग पुनर्वासि केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी करने की तिथि विकलांगता का प्रतिशत इत्यादि जानकारी आवश्यक होगी।
अतः इस प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से बनवायें।

(6) एम. सी. आई. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी :—

- (क) हाथ/हाथों से विकलांग; या
- (ख) दृष्टि से विकलांग; या
- (ग) बहरापन; या
- (घ) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

(7) एम. बी. बी. एस. तथा बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मिलेट्री पर्सन (सैनिक वर्ग) प्रवर्ग (एम. पी.) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षेत्रीय (हॉरिजोन्टल) होगा।

- (क) मिलेट्री पर्सन (सैनिक वर्ग) प्रवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों (एम. पी.) के पुत्र/पुत्रियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिनमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रति रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गए हों।
- (ख) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
- (ग) मिलिट्री पर्सन (सैनिक वर्ग) प्रवर्ग के अंतर्गत सेवा के दौरान मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्ररूप-3 भाग (अ) अनुसार प्रस्तुत करना होगा। मिलेट्री पर्सन (सैनिक वर्ग) प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक के पुत्र/पुत्रियों को भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र प्ररूप 3-भाग (अ) अनुसार तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण-पत्र प्ररूप 3 भाग-(स) अनुसार संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

अभ्यर्थी ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है एवं मध्यप्रदेश राज्य में प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ है. अथवा मध्यप्रदेश के बाहर प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ है, ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी एवं प्रतिरक्षा कर्मचारी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्ररूप 3-भाग(ब) अनुसार प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी.—मिलेट्री पर्सन प्रवर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

(8) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी के मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र /पौत्री या नाति/नातिनों के लिए एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा.

(9) (क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा, जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो.

(ख) जो अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. (प्ररूप-5) अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा.

(10) एम. बी. बी. एस./बी.डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा.

(11) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग) में रजिस्टर्ड हैं उन्हें उनकी श्रेणी की ओपन क्लास से भी अपनी पात्रता एवं मेरिट के अनुसार आवंटन की पात्रता होगी.

(12) अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने श्रेणी के अधीन केवल एक आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा.

6. पात्रता.—(1) अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार (परिशिष्ट-17) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी—

(क) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो.

(ख) आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो.

(ग) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 मापदण्ड क्रमांक (ब) 1 अथवा (ब) 2 में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा.

- (घ) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- (ङ) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- (च) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हों। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस कण्डिका में परिजन से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

स्पष्टीकरण-एक. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी 3-7-2013-1-3, भोपाल, दिनांक 20 मई 2015 के अनुसार (परिशिष्ट-18) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो। (प्रारूप-8)।

प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।

स्पष्टीकरण-दो.—किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो, अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का प्राकृतिक अभिभावक माना जाएगा। अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-तीन.—मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-22-2010-3-1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार 28 अक्टूबर 2010 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण पत्र जिन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जाएगा।

(2) एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी तथा 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ऐसे सभी श्रेणियों तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अथवा

अभ्यर्थियों के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड के समकक्ष अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा उपरोक्तानुसार भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विदेश में शिक्षा प्राप्त की गई है यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी पात्रता पर, संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए समानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जाएगा। ऐसे सभी श्रेणियों तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हकारी (10+2) परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(4) एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए नीट (यूजी) की परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 50 (पर्सेंट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यद्यपि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 40 (पर्सेंट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु नीट (यूजी) में न्यूनतम 50 (पर्सेंट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी विषय पृथक-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

(5) बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्सेंट्राइल ही मान्य होगा.

(6) सामान्य श्रेणी के विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 पर्सेंट्राइल होंगे एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40 पर्सेंट्राइल अनिवार्य होंगे.

(7) (क) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पूर्व 17 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो.

(ख) ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनकी आयु प्रवेश परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 25 वर्ष से अधिक हो चुकी हो उन्हें प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. लेकिन आरक्षित श्रेणी (एस. सी./एस.टी./ओबीसी) के समस्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

(8) अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा. ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो, तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा.

7. फीस संरचना—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी को (तालिका-4) में दर्शाए अनुसार फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी.

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रवेश के समय मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-23-27-2014-25-5, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016 के अनुसार निम्नानुसार की जाएगी.

(क) दो लाख पचास हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी.

(ख) दो लाख पचास हजार रु. तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी. राज्य काउंसिलिंग में प्रवेश होने पर जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की प्रति विद्यार्थियों से प्राप्त कर संस्था तत्काल संबंधित जिले (जहां संस्था स्थापित है, जिसमें विद्यार्थी का प्रवेश होना है) के जिला अधिकारी को जानकारी देंगे तत्समय ही जिला अधिकारी संस्था को पात्रता अनुसार विद्यार्थी को शुल्क स्वीकृत होने की संलग्न प्ररूप अनुसार वचनबंध संस्था को उपलब्ध कराएंगे.

(ग) उल्लिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के एक माह के अंदर नियमानुसार संबंधित संस्था/नोडल संस्था पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण कर आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे. मूल आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेखों की हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित किया जाएगा. विभाग के अधिकारी विधिवत प्राप्त प्रस्तावों को कलक्टर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अंदर राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित कराएंगे तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था को अनिवार्यतः दी जाएगी.

(घ) प्रत्येक जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी.

8. **प्रतिभूति निक्षेप.**—(1) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 10,000/- (रु. दस हजार), अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- (रु. दो हजार) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 3.00 लाख (रु. तीन लाख) से ज्यादा है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- (रु. दो हजार) भुगतान करना होगा.

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 3.00 लाख (रु. तीन लाख) से कम है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप जमा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु अभ्यर्थी को इस संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(3) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रवेश के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कूटनी के समय वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार (परिशिष्ट-19) संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जाएगा. आय प्रमाण प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा. संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा ऐसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्रों/शपथ पत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच जारीकर्ता अधिकारी द्वारा कराई जाएगी. जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित छात्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी. तथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा एवं ऐसे छात्रों को सीट लीविंग बॉर्ड के बराबर की राशि यथा रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी खाते में दण्ड स्वरूप जमा करना होगा, तभी छात्र को मूल प्रमाण पत्र वापस किए जाएंगे.

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्ष 2015-16 का आय प्रमाण पत्र/ स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र पर घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16) प्रस्तुत करना होगा. क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे. उन्हें सामान्य वर्ग में मेरिट अनुसार पात्रता होगी. (अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमानुसार पूर्ण करना आवश्यक है).

(5) प्रतिभूति निक्षेप इंटरनेशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज के संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापिस कर दिया जाएगा. यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है या इंटरनेशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपूत कर लिया जाएगा.

(6) **फीस वापसी.**—अखिल भारतीय कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा आल इंडिया की स्नातक की काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जाएगी. अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् सीट छोड़ने पर फीस संबंधी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं केवल काशन मनी वापसी योग्य होगी.

(7) राज्य कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा राज्य की स्नातक काउंसिलिंग की अंतिम चरण के अंतिम दिन सायं 5.00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जाएगी. अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् सीट छोड़ने पर फीस संबंधी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं केवल काशन मनी वापसी योग्य होगी.

9. **प्रावीण्य सूची**—(1) (क) सीबीएससी दिल्ली द्वारा नीट (यूजी) के सभी सफल अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय सामूहिक प्रावीण्य सूची एवं मध्यप्रदेश राज्य की एक सामूहिक प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी.

(ख) विकलांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दो पृथक्-पृथक् प्रावीण्य सूचियां (PH-1) एवं (PH-2) नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता अंकों के एवं विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी.

(2) (क) बोर्ड द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट में सम्मिलित होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नीट (यूजी) में न्यूनतम प्राप्तांक 50 (पर्सेन्ट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(ख) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यदि अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अर्हकारी परीक्षा (10+2) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं नीट (यूजी) में 50 (पर्सेंट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नीट (यूजी) में न्यूनतम 40 (पर्सेंट्राइल) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विकलांग अभ्यर्थियों हेतु नीट (यूजी) में अनारक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से न्यूनतम 45 (पर्सेंट्राइल) प्राप्तांक एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से 40 (पर्सेंट्राइल) प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे।

10. काउंसिलिंग प्रक्रिया—

- (1) काउंसिलिंग का कार्यक्रम एवं काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा घोषित किया जाएगा. इसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं एम. पी. ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा.
- (2) राज्य शासन द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु एक काउंसिलिंग (परामर्श) समिति का निम्नानुसार गठन किया जाएगा:—
 - (क) राज्य सरकार द्वारा काउंसिलिंग (परामर्श) समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति (संचालक, चिकित्सा शिक्षा स्तर के नीचे का अधिकारी न हो). —अध्यक्ष
 - (ख) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में से नामांकित कोई एक अधिष्ठाता. —सदस्य
 - (ग) संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश —समन्वयक सदस्य
 - (घ) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि. —सदस्य
 - (ङ) काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के फेकल्टी में से नामनिर्दिष्ट कम से कम पांच या उससे अधिक अधिकारी (नामांकित सदस्यों में दो सदस्य आरक्षित श्रेणी के होंगे). —सदस्य
- (3) काउंसिलिंग (परामर्श) समिति प्रवेश हेतु निम्नानुसार काउंसिलिंग कार्यक्रम निष्पादित करेगी,—
 - (क) काउंसिलिंग समिति, प्रवेश हेतु कार्यक्रम, स्थान, समय तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे तैयार करेगी तथा काउंसिलिंग के प्रारंभ होने के पूर्व इससे संबंधित विज्ञप्ति राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराएगी.
 - (ख) काउंसिलिंग समिति, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रीयकृत काउंसिलिंग (परामर्श) का अनुसरण करते हुए काउंसिलिंग (परामर्श) की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत एकल खिड़की प्रणाली अपनाकर करेगी.
 - (ग) काउंसिलिंग समिति, काउंसिलिंग (परामर्श) के प्रत्येक क्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी.

- (3) प्रथम चरण की काउंसिलिंग ऑनलाईन की जाएगी. जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—
- (क) अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) पोर्टल फीस रुपये 30/- (रुपये तीस) तथा रुपये 100 (रुपये सौ) पोर्टल फीस च्वाइस लॉकिंग करने हेतु देय होगी. यह राशि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाईन द्वारा अधिकृत कियोस्क पर नगद जमा की जा सकती है अथवा अभ्यर्थी निम्नानुसार भी भुगतान कर सकता है:—
- (एक) इंटरनेट बैंकिंग; या
- (दो) ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड; या
- (तीन) क्रेडिट कार्ड द्वारा

नोट.—अर्थात् अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय रु. 530/- (रुपये पांच सौ तीस) एवं च्वाइस लॉकिंग के समय रुपये 100/- (रुपये सौ) कुल रुपये 630/- (रुपये छः सौ तीस केवल) जमा करने होंगे.

- (ख) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मात्र एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.
- (ग) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए वे प्रथम चरण की काउंसिलिंग से पूर्व घोषित तिथियों में मध्यप्रदेश ऑनलाईन में अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा लें. ऐसे अभ्यर्थी जो अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश ऑनलाईन में नहीं करवाते हैं वे प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे.
- (घ) ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थियों द्वारा च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग स्वयं के द्वारा की जाएगी.
- (ङ) अभ्यर्थी को च्वाइस लॉकिंग के उपरान्त उसका प्रिंट आउट प्राप्त करना आवश्यक होगा जो उसे स्कूटनी के समय रजिस्ट्रेशन की रसीद के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.
- (च) ऑनलाईन सीट आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटन पत्र का प्रिंट आउट अपने पासवर्ड का उपयोग करके, जो कि उसे एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन करवाने पर एमपी ऑनलाईन द्वारा दिया जाएगा, प्राप्त कर सकेगा.
- (छ) च्वाइस भरने के उपरान्त अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिए अपात्र होगा. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भली भांति सोच विचार कर अपनी च्वाइस भरें, जो पाठ्यक्रम/महाविद्यालय अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, वह विकल्प अभ्यर्थी न भरें.
- (ज) आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया संबंधित शासकीय/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संपन्न की जाएगी. अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अपने मूल अभिलेखों तथा निर्धारित फीस के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा. प्रवेश की समस्त प्रक्रिया की विडियोग्राफी का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों का होगा. महाविद्यालयों में आवंटित अभ्यर्थियों स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया यथास्थिति निर्धारित किए गए महाविद्यालयों में की जाएगी.

11. द्वितीय एवं संभावित आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे:—

- (क) सभी पूर्व ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी.
- (ख) प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेशित छात्र जिन्होंने पुर्नआवंटन के लिए विकल्प दिया है वह पात्र होंगे.

12. किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया ऑफलाईन की जाएगी जिसमें सीट आवंटन के लिए महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेख काउंसिलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी. सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

नोट.—किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया पृथक् है एवं यह अंतिम चरण की काउंसिलिंग का हिस्सा नहीं है.

13. प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण किया जाना.—(1) प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन की जाएगी.

(क) प्रवेश रद्द/निरस्तीकरण से आशय है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है एवं आगामी काउंसिलिंग में भाग नहीं लेता है इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण माना जाएगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि काउंसिलिंग के दौरान यदि कोई छात्र प्रवेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपप्रेडेशन/पुनर्आवंटन कहा जाएगा एवं यह प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी.

(ख) निरस्तीकरण के प्रकरणों के लिए दिशा निर्देश.—

प्रवेश के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने हेतु अपना आवेदन-पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को संबंधित छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा. संबंधित छात्र को अपने आवेदन पत्र के साथ वही फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा, जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किए थे, आवंटन पत्र की सत्यापित प्रति, प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा. संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदन-पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लेकर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी.सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा. जहां सीट लीविंग बॉण्ड की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में सीट लीविंग बॉण्ड की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, तभी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण का आवेदन मान्य होगा. संचालक चिकित्सा शिक्षा से प्रवेश निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र/छात्र द्वारा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किए जाएंगे. प्रवेश निरस्तीकरण की पचीं संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा ऑनलाईन केवल मध्यप्रदेश ऑनलाईन के माध्यम से जनरेट की जाएगी. संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण आदेश ही वैध माने जाएंगे.

(2) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किए गए छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगे:—

(क) समस्त प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किए गए छात्रों की जानकारी संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक दिवस परिशिष्ट-15 में सायंकाल 7.00 बजे तक ई-मेल और डाक/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन उपलब्ध कराई जाएगी.

(ख) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किए गए छात्रों की पूर्ण सूचियां कम से कम एक वर्ष तक अपने वेबसाईट पर संबंधित संस्थाएं निरन्तर प्रदर्शित रखेंगी तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा को उनकी वेबसाईट पर सूची/छात्रों के नाम प्रदर्शित रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट-15 में ई-मेल एवं डाक/विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

(3) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची अनिवार्यतः संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ऑनलाईन एवं एम.सी.आई./डी.सी.आई. को ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक के माध्यम से परिशिष्ट-15 में उपलब्ध कराई जाए.

(4) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किए गए छात्रों की सूची संबंधित संस्था द्वारा कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं करने पर तथा प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किए गए छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा एम.सी.आई./डी.सी.आई., संबंधित विश्वविद्यालय और मध्यप्रदेश ऑनलाईन को समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर तथा संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रवेश निरस्त किए जाने पर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के विरुद्ध यह मानकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी कि उन्होंने जान बूझकर जानकारी को छिपाया है ताकि रिक्त रही सीटों को अवैधानिक रूप से भरा जा सके.

प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण है अतएव छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने के पूर्व भली-भांति सोच-विचारकर प्रवेश लें जिससे कि उन्हें आर्थिक हानि न हो एवं आगामी तीन वर्ष के लिए प्रवेश से वंचित न होना पड़े.

14. (1) ऑल इंडिया कोटे से रिक्त राज्य कोटे में वापिस प्राप्त (रिवर्टेड) सीट के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित हो अथवा ऐसे पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो.
 - (2) संबंधित श्रेणी के विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एवं मिलिट्री पर्सन प्रवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली सीट उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.
 - (3) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार पाठ्यक्रम व महाविद्यालय आवंटित किए जाने के पश्चात् पुनः आवंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार होगी. इसके लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी. शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनः आवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क की राशि छात्रों को वापस की जाएगी.
 - (4) शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा.
15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश उनके अखिल भारतीय कोटा के आधार पर दिया गया है तथा उनका चयन मध्यप्रदेश राज्य कोटा में भी हुआ है, वे मध्यप्रदेश श्राज्य कोटा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, उन्हें आवंटन के समय अखिल भारतीय कोटा की सीट छोड़ना होगा (एनेक्सर-2)

16. (1) राज्य को अखिल भारतीय कोटा की लौटाई गई कुल प्राप्त सीटों को राज्य कोटा की सीटों में सम्मिलित कर मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति अनुरूप बांटा जाएगा. इनका पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में वितरण काउंसिलिंग के दौरान किया जाएगा.

(2) यदि आरक्षण अनुसार पात्र अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जाएगी—

- (क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी.
- (ख) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी.
- (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जाएगी.
- (घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जाएगी.

17. पूर्व वर्षों में बी.डी.एस. में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्ररूप-1 एवं 9 के साथ अपने मूल अभिलेख एवं छायाप्रतियों सहित संबंधित आवंटित संस्था में स्क्रूटनी एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा किया गया सीट आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा.

18. अभ्यर्थी काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा.

19. (1) स्कूटनी एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी की स्कूटनी एवं प्रवेश के समय की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हो. वीडियोग्राफी की सी.डी. तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिसकी एक प्रति अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख एक प्रति संचालक चिकित्सा शिक्षा को एवं एक प्रति रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाएगी. महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को दी जाएगी एवं यह सूची संबंधित महाविद्यालय की वेबसाईट तथा सूचना पटल पर चस्या की जाएगी एवं डीएमई की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी.

(2) प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी एवं उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी. इस समिति के समन्वयक संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा होंगे जो पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे.

(3) स्कूटनी एवं प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दोनों हाथों की समस्त उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट लिए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य का होगा.

20. (1) प्रत्येक महाविद्यालय की प्रवेश समिति गठित की जाएगी जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य, तथा चार चिकित्सा शिक्षक जिसमें कम से कम दो आरक्षित श्रेणी के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे. यह समिति मूल अभिलेखों का सत्यापन भी करेगी तथा पात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश देगी.

(2) प्रवेश प्रक्रिया हेतु सीट आवंटित अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है. प्रवेश की समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रतिदिन प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश स्थल के सूचना पटल पर एवं संबंधित महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी. इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के प्रवेशित छात्रों की सूची संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसी दिन संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

(3) प्रवेशित अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण-पत्र महाविद्यालय द्वारा जमा रखे जाएंगे तथा अभ्यर्थी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा.

(4) अनुबंधित छात्रों के मूल अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा इन्टर्नशिप पूर्ण करने के बाद तत्समय शासन के निर्देशानुसार लौटाने की कार्यवाही की जाएगी.

(5) अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त होंगे.

21. **बंध पत्र का निष्पादन.**—(1) ग्रामीण सेवा बंधपत्र (बाण्ड) अभ्यर्थी जिसका प्रवेश एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में हुआ है, उसे एक बांड का निष्पादन करना होगा, कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन की सेवा में रह कर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निश्चित समय तक कार्य करेगा/करेगी. बांड की राशि अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी के लिए रु. 5.00 लाख (कुल रु. पांच लाख मात्र) होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के छात्रों के लिए रु. 3.00 लाख (कुल रु. तीन लाख मात्र) होगी. (प्ररूप-14).

बांड की शर्तें श्राज्य कोटा, अखिल भारतीय कोटा एवं भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेशित सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगी.

(2) **सीट छोड़ने का बंध पत्र (सीट लीविंग बाण्ड) :**

(क) अखिल भारतीय कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट छोड़ने का बंध पत्र (सीट लीविंग बाण्ड)

निष्पादित करेगा कि यदि वह ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंतिम चरण के प्रवेश की अंतिम तिथि को सांयकल 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रुपये 5.00 लाख (रुपये पांच लाख) एम.बी.बी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी (प्ररूप 20) एवं रु. 3.00 (रु. तीन लाख) बीडीएस प्रवेशित अभ्यर्थी (प्ररूप 21) को संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी समिति को जमा करेगा, अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी को अगले तीन वर्षों तक प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

- (ख) राज्य कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट छोड़ने का बंध पत्र (सीट लीविंग बाण्ड) निष्पादित करेगा कि यदि वह मध्यप्रदेश राज्य कोटे की काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन को सांय 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रु. 5.00 लाख (रु. पांच लाख) एम.बी.बी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी एवं रु. 3.00 लाख (रु. तीन लाख) बीडीएस प्रवेशित अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति को जमा करेगा, अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. प्रवेशित अभ्यर्थी को अगले तीन वर्षों तक प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

नोट.—किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया पृथक है एवं यह अंतिम चरण की काउंसिलिंग का हिस्सा नहीं है.

22. काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम प्रदेश में बहु प्रसारित कम से कम दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा एवं कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी सूचित किया जाएगा.
23. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं किसी भी कारण से होने वाली रिक्रियों पर प्रवेश की अंतिम तिथि के संबंध में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने पर अथवा भारत सरकार/एम.सी.आई. द्वारा तिथि निर्धारित किए जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा.
24. राज्य शासन, प्रवेश के किसी नियम प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा.
25. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा. उसकी सूचना संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी किन्तु इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जाएगा. अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहे एवं उसे देखते रहे.
26. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा.


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

प्ररूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाए)



मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2016 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिए हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिए गए प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूँ।

स्कूटनी में भाग लेने के लिये आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, अथवा आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए।

- (1) नीट (यू. जी.) 2016 का रोल नं. :
- (2) प्रवीण्य सूची क्रमांक :
- (3) प्रवेश परीक्षा नीट (यू. जी.) 2016 में प्राप्तांक :
- (4) उम्मीदवार का पूरा नाम :
- (5) माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता :
- दूरभाष/मोबाईल नं. :
- (6.1) श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) :
- (6.2) प्रवर्ग (सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग ओपन) :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, पूरा नाम व दिनांक

(7) मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही (चिन्ह) का चिन्ह लगायें (स्कूटनी समिति सदस्य द्वारा चिन्हांकित किया जाए).

(1) नीट (यू. जी.) 2016-टेस्ट एडमिट कार्ड;

(2) नीट (यू. जी.) 2016-की मूल अंक सूची;

(3) अर्हकारी परीक्षा हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची;

(4) आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निम्न प्रविष्टियों सहित.—

पुस्तक क्रमांक	रसीद क्रमांक	दिनांक	स्थान	जारीकर्ता प्राधिकारी	हस्ताक्षर एवं मुहर है
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(5) आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में.

(6) जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं/12वीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो.

दिन	माह	वर्ष
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(7) यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा उस अंतराल का शपथ-पत्र.

(8) मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र निम्न प्रविष्टियों सहित.

क्रमांक	जारी करने की दिनांक	स्थान	जारीकर्ता प्राधिकारी	हस्ताक्षर एवं मुहर है?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(9) अध्ययनरत अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र. (उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी से इस आशय का वचनबद्ध लिया जाए कि वह निश्चित समयावधि में प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था में जमा करा देगा).

(10) वर्तमान आय प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित) अथवा प्ररूप 10-ब के अनुसार.

(11) पूर्व संस्था के प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र सूची सहित.
(यदि लागू हो तो).

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार समिति को उपलब्ध कराए गए मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख क्रमांक 01 से 11 का परीक्षण किया गया. प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति के तीन सेट अभिलेख हेतु जमा करा लिए गए हैं. प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों का नीचे उल्लेखित किया गया है.

सदस्य, स्कूटनी समिति
(नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक).

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों से काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है.

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति
हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम.

प्ररूप-1-अ
शपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री उम्र
निवासी आज दिनांक को शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे
द्वारा काउंसिलिंग में लिए गए निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

आवंटित संस्था में समय-सीमा में प्रवेश लेकर, मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| दिनांक | दिनांक |
| नाम | पूरा नाम |
| पूरा पता | पता |
| | टेलिफोन/मोबाईल नं. |
-
- | |
|----------------------|
| 2. गवाह के हस्ताक्षर |
| दिनांक |
| नाम |
| पूरा पता |

ANNEXURE-2
DECLARATION FORM

(To be submitted by candidate in the college at the time of admission
FOR

Allotment of a Seat in State Autonomous/State Medical/Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat

I,
S/o, D/o, Resident of
..... Bearing
Roll No. have been placed at Rank Number
..... in the NEET (UG) 2016 and I had opted a
Seat at College Course.

..... in the allotment, and have taken admission there on dated

I, the above named, hereby chose a seat at college incourse
from amongst the seats in Medical/Dental Colleges of M. P. available at my rank during this counselling for
allotment and admission.

Following this allotment, I hereby resign from my All India quota seat of 2015. I shall have no claim on the seat
allotted to me earlier at College Course Consequently, the same
stands vacated by me with immediate effect.

OR

I, the above named reject the seats, made available to me at my rank for allotment and I will continue my studies
at my earlier allotted College Course

Signature of the Candidate

Name

Rank No.

प्ररूप-3 भाग (अ)

मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम. पी.) हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो नीट (यू. जी.) 2016 परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता है.—

अ — थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक था.

अथवा

ब— उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है.

स्थान
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्ररूप-3 भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो (यू. जी.) 2016 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता है.

अ — थल सेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत है.

अथवा

ब— उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है.

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग

(कार्यालय सील)

प्ररूप-3 भाग (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)
 जो (यू. जी.) 2016 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती (पिता/माता) के/की पुत्र/
 पुत्री हैं, जो थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद, सर्विस क्रमांक के अधीन सेवारत
 रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं। वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् (स्थान) तहसील
 जिला में अधिवासित हो गए हैं।

स्थान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
 दिनांक (कार्यालय सील)

प्ररूप-4 भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थाई-जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/
 पति का नाम निवासी ग्राम/नगर वि. खं.
 तहसील जिला संभाग
 मध्यप्रदेश जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के
 अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
 जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत
 मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की
 कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक हस्ताक्षर,
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
 पदनाम/सील.

टिप्पणी.—(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति
 तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.
 (अनुविभागीय अधिकारी)/उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,
 वृहद/मध्यम/एकीकृत अदिवासी विकास परियोजना.

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् जारी किया जाए,
 न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के आधार पर अथवा स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किए
 गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर.

भाग (ब)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप.

स्थाई प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम)
आत्मज श्री निवासी/ग्राम जिला/संभाग
मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन दिनांक 02 अप्रैल 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिक सूचनाओं
द्वारा अधिमन्य किया गया है और सूची के क्रमांक पर अंकित है.

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश
के जिला संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है श्री (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों
की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र/क्रमांक 360/2/22/93 स्था.(एस.सी.टी.)
दिनांक 8-9-1993 द्वारा जारी सूची के (कॉलम-3) में तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/
1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील)

प्ररूप-5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार श्री/श्रीमती (उम्मीदवार
के पिता/माता का नाम) का /की वैध ((Legitimate) पुत्र/पुत्री है.
- 2- श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम)
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का /की वैध ((Legitimate)
पुत्र/पुत्री है.

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) का नाम
मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी
में क्रमांक पर पंजीकृत है.

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

प्ररूप-6

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील
जिला

विषय : स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बावत्.

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है. मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है. यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें.

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1- | नाम | : | |
| 2- | पिता/पति का नाम | : | |
| 3- | जन्मतिथि | : | |
| 4- | निवास का पूरा पता | : | मकान नं. मोहल्ला
ग्राम/शहर का नाम
तहसील जिला |
| *5- | मेरी पत्नी का विवरण | : | नाम आयु वर्ष |
| *6- | मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण | : | (1) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष
(2) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष
(3) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष |

संलग्न :— शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम (.....)

*लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें.

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील जिला

पावती

श्री/श्रीमती के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज
दिनांक को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्ररूप—7

शपथ-पत्र

मैं आत्मज / आत्मजा / पति श्री
 आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि—

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ.

*2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है.

*3. मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्री— (1) श्री / कु. आयु (लगभग) वर्ष

(2) श्री / कु. आयु (लगभग) वर्ष

(3) श्री / कु. आयु (लगभग) वर्ष

(यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक, पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें).

*(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं. मोहल्ला ग्राम तहसील
 जिला में वर्ष में पैदा हुआ / हुई हूँ. मैंने संस्था
 ग्राम / शहर तहसील जिला में वर्ष से वर्ष
 तक शिक्षा प्राप्त की है.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाए. मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा).

*(2) मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम / मोहल्ला शहर तहसील
 जिला में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो. यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक, कहां-कहां निवासरत रहें, इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाए).

*(3) मैं, मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम / मोहल्ला शहर
 तहसील जिला में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम / शहर
 में सर्वे नं. रकबा भू-खण्ड / मकान है. मैं
 उद्योग / व्यवसाय करता हूँ. मेरा टिन नंबर / पेन नंबर है.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो / उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो).

* (4) मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
. विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ / से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार).

* (5) मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था / निगम / मण्डल / आयोग में
. पद पर / से कार्यालय में / से सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत / सेवानिवृत्त पद का नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसका पूर्ण विवरण दें.)

* (6) मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर
. कार्यालय तहसील जिला के
पद पर वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता).

* (7) मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष) अधिकारी हूँ.
. पद पर कार्यालय / मंत्रालय में पदस्थ हूँ / से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम).

* (8) मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक विधिक पद (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ.

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए).

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, आत्मज / आत्मजा / पति श्री
आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका
लगायत में जानकारी निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है
और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है.

सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया.

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

प्ररूप—8

कार्यालय, नायब तहसीलदार / तहसीलदार

टप्पा / तहसील जिला

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष

दिनांक

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट
साईज का फोटो लगाया
जाए जो प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा सत्यापित किया जाए.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. पिता / पति
निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिये प्रभावशील ज्ञापन दिनांक में निर्धारित मापदण्ड
की कंडिका क्रमांक की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है.

*2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक
के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी* / अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के
स्थानीय निवासी है—

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है.

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र / पुत्री (1) आयु वर्ष

(2) आयु वर्ष

(3) आयु वर्ष

(4) आयु वर्ष

टीप.—यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं
होगा.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी).

हस्ताक्षर तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील

जिला

*जो लागू न हो काट दें.

*यह प्रमाण-पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त है तो उसे भी मान्य किया जाएगा.

प्ररूप—9

बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राचार्य,

.....
.....

(सम्बन्धित दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय.—बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबत,

मेरे द्वारा पूर्व के वर्ष की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रेणी प्रवर्ग
मेरिट क्र. के आधार पर काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

मध्यप्रदेश शासकीय मेडिकल / डेंटल स्नातक प्रवेश नियम, 2016 के नियम 17 के अनुसार मैं वर्तमान वर्ष 2016 की काउन्सिलिंग में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये पुनर्आवंटन चाहता / चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है. इस बाबत भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता / अभिभावक का नाम

कार्यालय, प्राचार्य

(दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

दिनांक

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश भोपाल.

श्री / कु. आत्मज / आत्मजा
इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व के वर्ष की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रेणी प्रवर्ग
मेरिट क्र. के आधार पर काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर अध्ययनरत है.

बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन किए जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील
प्राचार्य / प्राधिकृत अधिकारी,
दन्त चिकित्सा महाविद्यालय.

प्ररूप—10-अ

आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

प्रति,

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

.....

.....

विषय.—आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत,

महोदय / महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :—

1. नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. निवास का पूरा पता :
4. संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्रोतों से मेरी / मेरे परिवार* की वार्षिक आय. :

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम (.....)

(*परिवार से आशय पति / पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं)

कार्यालय, तहसीलदार / नायब तहसीलदार टप्पा / तहसील जिला

पावती

श्री / श्रीमती के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज
दिनांक को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्ररूप—10-ब

कार्यालय, तहसीलदार / नायब तहसीलदार

टप्पा / तहसील जिला मध्यप्रदेश

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष दिनांक

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कु. पिता / पति
निवासी तहसील जिला मध्यप्रदेश की / के परिवार की
समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये (शब्दों में) है.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी).

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
तहसील
जिला
सील

Appendix-11

No. U-14014/6/2001-ME (UG)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health)

New Delhi, Dated the 1st August 2001

STATEMENT INDICATING THE NAMES OF BENEFICIARY AGENCIES AND THE NUMBER OF MBBS / BDS SEATS ALLOTTED TO THEM FROM THE CENTRAL POOL FOR THE ACADEMIC SESSION 2001-2002 IN THE STATE FOR MADHYA PRADESH

S.No.	Name of Medical / Dental College	Place	Name of Beneficiary	No. of Seats
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
M.B.B.S.				
1.	Gandhi Medical College	Bhopal	M/o Defence	2
			M.E.A. (M.S.)	1
			Nagaland	1
			Dadra & N. H.	1
			Mizoram	1
			Sikkim	1
2.	G. R. Medical College	Gwalior	Nagaland	3
			Sikkim	1
			Manipur	2
3.	M. G. Medical College	Indore	M.H.A.	1
			Daman & Diu	1
			Mizoram	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Medical College	Jabalpur	Tripura Maghalaya Arunachal I.C.C.W.	2 2 3 1
5.	S. S. Medical College	Rewa	J & K M/o Defence Total (MBBS)	2 1 27
B.D.S.				
1.	College of Dentistry	Indore	Dadra & N. H. Total (BDS)	1
Director (Medical Education)				

परिशिष्ट—12

CATEGORIES OF STUDENTS ENTITLED TO CENTRAL GOVERNMENT
RESERVED SEATS FOR ADMISSION TO MBBS / BDS AND THE AUTHORITIES CONCERNED

(As per D.O.N.U., 14014/1/99-ME (UG) dated 11-1-99 from Government of India,
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi)

Category (1)	Authority of whom the application are to be sent (2)
1. Student belonging to States / Union Territories with no Medical / Dental College	Health Secretary, State / Union Territories Government
2. Wards of Defence personnel	Liaison officer, Kendriya Sainik Board Ministry of Defence, West Blok-IV, Wing No. 5, R. K. Puram, New Delhi - 110 066.
3. Children of para-military personnel (i) For CRPF / BSF etc. personnel (ii) For SSB/R&AW/SFF etc. personnel	Ministry of Home Affairs FR-I, Section, North Block, New Delhi-110 001. Cabinet Secretariate EA-II, Section Bikaner House (Annexe) Shahjahana Road, New Delhi - 110 011.
4. Children of India Staff serving in India Missions abroad.	Ministry of External Affairs, Welfare Cell, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021.
5. For meeting diplomatic / bilateral commitments	Ministry of External Affairs, Student Cell, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021.
6. Tibetan Refugees	Ministry of Human Resource Development Department of Education, UT-2 Section A-2/W-4, Curzon Road, Barracks, New Delhi - 110 001.
7. National Bravery Award Winning Children	Indian Council for Child Welfare, 4-Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi - 110 002.

परिशिष्ट—13

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक

भोपाल, दिनांक

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय.—लक्ष्यदीप के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण.

शासन द्वारा लक्ष्यदीप के छात्रों को वर्ष 2001 के बाद के शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिये एक सीट आरक्षित की जाने का निर्णय लिया गया है.

तदानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें.

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

प्ररूप—14

बंध पत्र

रुपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए

मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ

2. मैंने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, 2016 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है.
3. मैं सामान्य / आरक्षित श्रेणी की / का छात्रा / छात्र हूँ.
4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूँ कि :—

अ. मैं चिकित्सा / दन्त चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी / करूंगा.

- ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा.
- स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती / करता हूँ.
- (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों / अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी / रहूंगा.
 - (2) यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में, मैं शासन के रुपये 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रुपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु का भुगतान करने का वचन देती / देता हूँ.
 - (3) यह कि, मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जाएंगे.
- द. यह कि, इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.
2.

प्रतिभूतिकर्ता

मैं, पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल सम्पत्ति से वसूली
की जा सकेगी.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.
2.

दिनांक से दिनांक तक

प्रवेशित / प्रवेश निरस्त / रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति की जानकारी का प्रपत्र

शैक्षणिक सत्र 2016-2017

चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम

स. क्र.	छात्र का नाम	ए.आई.पी.एम.टी. मैरिट			पात्रता श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित पाठ्यक्रम का नाम (एमबीबीएस / बीडीएस)	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त का दिनांक (यदि आवश्यक हो)	प्रवेश निरस्तीकरण का कारण	वर्तमान स्थिति सीट रिक्त/भरी	संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित सीट के आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
		रोल नंबर	राज्य रैंक	आल इंडिया रैंक								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

हस्ताक्षर एवं सील
अधिष्ठाता / प्राचार्य

परिशिष्ट—16

आय बाबत स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र
(सादे कागज पर)

मैं, आत्मज श्री
आयु वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि :—

1. मैं वर्तमान में निवासरत हूँ.
2. मेरे नाम से ग्राम में हेक्टेयर / एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है.
3. मेरा व्यवसाय है. इससे मुझे वार्षिक आय रुपये शब्दों में है.
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये शब्दों में है.
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं :—
1. 2. 3. 4. 5.
(परिवार से आशय पति / पत्नि / अवयस्क पुत्र / पुत्री / आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये शब्दों में है.
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है / शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है.

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र राशि रुपये वार्षिक का प्रस्तुत किया / दिया था. मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है. अतः परिवर्तित आय राशि रुपये वार्षिक के आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था.
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, आत्मज / पति श्री
आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है. मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य व अपूर्ण जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे.

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया है.

हस्ताक्षर

परिशिष्ट—17

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक,

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण.

संदर्भ.—विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 29 जून 2013.

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(अ) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था—

वर्तमान में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित है. उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र के साथ निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) द्वारा सात कार्य दिवसों में आवेदक को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है.

(ब) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था—

1. राज्य शासन के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित / टंकित शपथ पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित, घोषणा-पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा.
2. **पात्रता—**
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी :—
 - 1.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो.
 - 1.2 आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो.

- 1.3 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था / निगम / मण्डल / आयोग का सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था / निगम / मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा.
- 1.4 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो.
- 1.5 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो.
- 1.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो. इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाएगी. इस कंडिका में "परिजन" से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता.

3. आवश्यक दस्तावेज—

आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में शपथ-पत्र पर स्वहस्ताक्षरित, घोषणा-पत्र तैयार करना होगा. नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेगा. ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा. अर्थात् इसके लिये किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटरी से अनुप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी.

4. प्रक्रिया—

- 4.1 यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार/ अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी / सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र-1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा. आवेदक से संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवास के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा.
- 4.2 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं / सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है. इन सभी सेवाओं के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जायेंगे.
- 4.3 यदि भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिये अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के सादे कागज पर आवेदक के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा.

5. आवेदक के स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्टया आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को यथास्थिति अमान्य / आपत्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी.
6. संबंधित विभाग / कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के आधार पर सेवा / लाभ प्रदान किया गया है) के अधिकारियों तथा सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) द्वारा आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी. जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गई है, तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी.
7. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी.
8. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी. इस परिपत्र के जारी होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.1—“स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना” को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (Denotify) किया जाएगा. इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे. इस परिपत्र की कंडिका 4.3 के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले आवेदकों के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी. ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित पात्रता की शर्तें इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप संशोधित मानी जायेंगी तथा प्रपत्र 2 में शपथ-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा. अतः परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे.
9. घोषणा-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट—‘एक’ पर संलग्न है. कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्रारूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा.
10. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों / कॉलेजों / अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकें.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट—18

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-एक-3,

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2015

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार),
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व),
समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर),
मध्यप्रदेश.

विषय.—सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.1—कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में.

संदर्भ.—इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 एवं 25 सितम्बर, 2014.

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-308-05-01-2010, दिनांक 24-9-2011 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा क्रमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित की गई थी, तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके लिये स्व-घोषणा-पत्र मान्य किया जायेगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7/2013/3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/इकसठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-06, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा सिर्फ कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

2. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रयोजन के लिये सामान्यतः संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर हस्तलिखित/ टंकित शपथ-पत्र पर स्व-हस्ताक्षरित स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा. किन्तु यदि भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी योजना आदि में लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तो संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति लोक सेवा केन्द्र में सेवा क्रमांक 6.1 के तहत अपना आवेदन दे सकेंगे. ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी परिपत्र क्रमांक सी-3-7/2013/3/एक, दिनांक 29 जून, 2013 में दिये गये मापदण्डों / प्रक्रिया के तहत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जाये. इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	7 कार्य दिवस	अनुभाग अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

हस्ता./-

(आर. के. गजधिये)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक,

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—आय प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण.

संदर्भ.—विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 29 जून 2013.

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों के लिये आय प्रमाण-पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(अ) आय प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था—

वर्तमान में आय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2 के रूप में अधिसूचित है. उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र तथा आय के उल्लेख के साथ शपथ-पत्र निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. आय प्रमाण-पत्र की पात्रता के लिये निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) द्वारा तीन कार्य दिवसों में आवेदक को आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है.

(ब) आय प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था—

1. राज्य शासन के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये आय प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्थापित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित, घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा.
2. आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र तैयार करना होगा. नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेंगे. ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्थापित कागज पर दिया जा सकेगा. अर्थात् इसके लिये किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटराइज कराने की आवश्यकता नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी.
3. यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आय प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी / सक्षम अधिकारी के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र-1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

(Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और आय के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं / सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। इन सभी सेवाओं के लिये आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जायें।
5. यदि भारत सरकार की किसी योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिये अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के अस्टाम्पित कागज पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
6. आवेदक के आय हेतु स्वयं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्टया आवेदक द्वारा अंकित आय के संबंध में त्रुटिपूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित करते हैं, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को यथास्थिति अमान्य / आपत्ति निरस्त किया जायेगा।
7. संबंधित विभाग / कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के आधार पर सेवा / लाभ प्रदान किया गया है) के अधिकारियों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी। जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गई है, तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
8. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी।
9. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी। इस परिपत्र के जारी होने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.2—“आय प्रमाण-पत्र जारी करना”, को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (Denotify) किया जाता है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे। इस परिपत्र की कंडिका 5 में उल्लेखित आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जारी होगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही प्रपत्र 2 में शपथ-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा। अतः परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे।
10. घोषणा-पत्र का प्ररूप परिशिष्ट—‘एक’ पर संलग्न है। कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्ररूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
11. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों / कॉलेजों / अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग।

परिशिष्ट—19

मध्यप्रदेश शासन

अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
भोपाल.
2. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आयुष विभाग,
भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल.

विषय.—महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति.

संदर्भ.—समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20-7-2016.

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञाप द्वारा दिनांक 2-6-16 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की नियमावली कंडिका VIII (iii), IX, XI, XII के अंतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति का कार्यवाही विवरण प्रेषित किया गया है. लिये गये निर्णय अनुसार आपके विभाग से संबंधित शासकीय / अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को पालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें :—

1. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी.
2. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से अशासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी. राज्य काउन्सिलिंग से प्रवेश होने पर जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की प्रति विद्यार्थी से प्राप्त कर संस्था तत्काल संबंधित जिले (जहां संस्था स्थापित है, जिसमें विद्यार्थी का प्रवेश होना है) के जिला अधिकारी को जानकारी देंगे तत्समय ही जिला अधिकारी संस्थान को पात्रतानुसार विद्यार्थी को शुल्क स्वीकृत होने की संलग्न प्रारूप अनुसार वचन-पत्र (Undertaking) संस्था को उपलब्ध कराएंगे.

3. उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के एक माह के अन्दर नियमानुसार संबंधित संस्था / नोडल संस्था पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण कर आदिम जाति / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे. मूल आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेखों की हार्डकापी के साथ प्रेषित किया जाएगा. विभाग के अधिकारी विधिवत प्राप्त प्रस्तावों को कलेक्टर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अन्दर राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित करायेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था को अनिवार्यतः दी जाएगी.
4. प्रत्येक जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जावेगा उन संस्थाओं को जिला कलेक्टर कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित कर छात्रवृत्ति के प्रयोजन से संस्था को डीनोटिफाइड (Denotified) करेंगे. Denotification में उल्लेखित अवधि में संबंधित संस्था तथा विद्यार्थी विभाग की योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-

(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

हस्ता./-

(अलका उपाध्याय)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

वचन-पत्र

(Undertaking)

श्री पुत्र श्री जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं एवं इन्हें पोस्ट मैट्रिक की पात्रता आती है, का प्रवेश पाठ्यक्रम में हुआ है.

उपरोक्त चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क शासन द्वारा विद्यार्थी के खाते में जमा किया जाएगा.

हस्ताक्षर

नाम

पद

प्रभारी अधिकारी

छात्र द्वारा वचन-पत्र

(Undertaking)

मैं पुत्र श्री वचन देता हूँ कि शासन से मेरे खाते में प्राप्त होने वाला शुल्क मैं चिकित्सा महाविद्यालय / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय / इंजीनियरिंग महाविद्यालय को तत्काल भुगतान करूंगा.

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

विद्यार्थी का नाम

पिता का नाम

पता

.

मोबाईल नंबर

TABLE—1.1

**GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE
DISTRIBUTION OF MBBS & BDS SEATS SESSION 2016-17**

S. No.	Name of Medical / Dental College	All India	GOI	PH	MP	FF	OPEN (All Categories)	TOTAL
1.	G.M.C., Bhopal	23	7+1*	04	03	04	108	150
2.	G.R.M.C., Gwalior	23	06	03	04	03	111	150
3.	M.G.M.M.C., Indore	23	03	04	03	04	113	150
4.	N.S.C.B.M.C., Jabalpur	23	08	03	04	03	109	150
5.	S.S.M.C., Rewa	15	03	02	02	02	76	100
6.	B.K.M.C., Sagar	15	00	03	03	03	76	100
7.	Govt. Dental College, Indore	06	01	01	01	01	30	40
Total :		128	29	20	20	20	623	840

*** Lakshdeep Seat**

Note.—No. of seats in each College is subjected to permission from Government of India.

संकेत

MP	=	मिलिट्री पर्सन
FF	=	स्वतंत्रता सेनानी
PH	=	विकलांग
GOI	=	भारत सरकार द्वारा नामांकित
NRI	=	अप्रवासी भारतीय

TABLE—1.2

**GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE
CATEGORY WISE DISTRIBUTION OF MBBS / BDS SEATS (STATE QUOTA OPEN SEATS)
SESSION 2016-17**

S.No.	Medical College	Unreserved	ST	SC	OBC	Grand Total
1.	G.M.C., Bhopal	54	22	17	15	108
2.	G.R.M.C., Gwalior	56	22	18	15	111
3.	M.G.M.M.C., Indore	56	23	18	16	113
4.	N.S.C.B.M.C., Jabalpur	55	21	18	15	109
5.	S.S.M.C., Rewa	38	15	12	11	76
6.	B.K.M.C., Sagar	38	15	12	11	76
7.	Govt. Dental College, Indore	15	06	05	04	30
Total :		312	124	100	87	623

Note.— (i) Availability of number of seats for reserved category and unreserved category has been calculated for total number of seats.

(ii) 30% seats will be made available to female candidate in each category.

TABLE—1.3

**GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE
CATEGORY WISE DISTRIBUTION OF MBBS & BDS SEATS (PH, MP & FF)
SESSION 2016-17**

S. No.	Name of College	PH					MP					FF									
		UR	ST	SC	OBC	Total	UR	ST	SC	OBC	Total	UR	ST	SC	OBC	Total					
1.	GMC, Bhopal	2	1	0	1	4	1	1	0	1	3	2	1	0	1	4					
2.	GRMC, Gwalior	1	1	1	0	3	2	1	1	0	4	1	1	0	1	3					
3.	MGMMC, Indore	2	0	1	1	4	1	1	1	0	3	2	1	1	0	4					
4.	NSCBMC, Jabalpur	2	1	0	0	3	2	1	0	1	4	2	0	1	0	3					
5.	SSMC, Rewa	1	1	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	1	0	2					
6.	BKMC, Sagar	1	0	1	1	3	2	0	1	0	3	1	1	0	1	3					
7.	Govt. Dental College, Indore.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1					
Total :		10	4	3	3	20	10	4	3	3	20	10	4	3	3	20					
Grand Total—60		Unreserved—30,					ST—12,					SC—09,					OBC—09				

TABLE—4

FEE STRUCTURE

**Autonomous Medical College, Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Rewa, Sagar and
Dental College, Indore**

(i)	Tuition Fees (Free Seat)	50,000/- per annum
(ii)	Hostel Fees	10,000/- per annum
(iii)	Caution Money (refundable)	3,000/-
(iv)	Student Fund	500/- per annum
(v)	Security Deposit (refundable) Instalment	10,000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.